सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ।

वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनाँक 25 फरवरी, 2021 का कार्यवृत्त

वित्त समिति की 15वीं बैठक दिनाँक 25 फरवरी, 2021 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे कुलपति सभाकक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1. डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति,	अध्यक्ष
2. श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)।	सदस्य
3. डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)।	सदस्य
4. डा0 अमरनाथ मिश्र, संयुक्त कृषि निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के प्रतिनिधि)	सदस्य
5. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियन्त्रक	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

25.02.2021
डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

प्रस्ताव संख्या 15.1: वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनाँक 15 फरवरी, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनाँक 15 फरवरी, 2020 को सम्पन्न 14वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 15.2: वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनाँक 15 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

वित्त समिति द्वारा 14वीं बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 15.3: वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु संस्तुति की गयी।

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 15.4: वित्तीय वर्ष 2020–2021 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 का आय–व्ययक।

वित्त समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुमानित आय–व्ययक पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु निम्नवत संस्तुति की गयी।

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

.02.2021
डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

आय–व्ययक वित्तीय वर्ष 2021–22

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2018–19	आय–व्ययक अनुमान 2019–20	पुनरीक्षित अनुमान 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21
1	राजस्व प्राप्तियां	9485.06	21404.14	19649.95	23577.02
2	पूँजीगत प्राप्तियां	471.63	5259.49	1614.49	7460.05
3	**योग (1+2)**	**9956.69**	**26663.63**	**21264.44**	**31037.07**
4	राजस्व व्यय	8003.07	21342.29	19493.72	23424.77
5	पूँजीगत व्यय	471.63	5259.49	1614.49	7460.05
6	**योग (4+5)**	**8474.70**	**26601.78**	**21108.21**	**30884.82**

(कार्रवाई: वित्त नियंत्रक)

प्रस्ताव संख्या 15.5: स्व0 श्री राम समुझ, कृषि श्रमिक, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की ड्यूटी के समय मृत्यु के कारण एक्स ग्रोसिया एकमुश्त कम्पनशेसन (ड्यूज) राशिकरण के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या आई0जी0आर0एस0–265/67–कृशिअ–18–500(10)/15 दिनांक दिसम्बर, 2018 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम–10 के सपठित वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या सा–3–1340/दस–88–910/88 दिनांक 19.08.1988, कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0–3–1508/दस–2008, दिनांक 08.12.2008 तथा कार्यालय

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 आर0के0 मित्तल
कुलपति

ज्ञाप संख्या सा0–3–1287/दस–2010, दिनांक 28.07.2010 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्व0 रामसमुझ, कृषि श्रमिक, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की कर्तव्य पालन की अवधि में दिनांक 15.12.2008 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला कर मृत्यु कारित किये जाने के सम्बन्ध में उनकी पत्नी श्रीमती सुमन को अनुग्रह धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने के सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया। संदर्भित शासनादेश संख्या सा0–3–1287/दस– 2010, दिनांक 28.07.2010 को विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 32वीं बैठक दिनांक 21.08.2016 द्वारा अंगीकृत किया जा चुका है। इसमें प्रस्तर रद के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से कर्तव्य पालन के समय आतंकवादी/अराजक तत्वों की गतिविधयों में हुई हिंसा में मृत्यु की धनराशि रू0 10.00 लाख देने का प्राविधान किया गया है। मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्व0 श्री रामसमुझ की पत्नी को रू0 5.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं रू0 5.00 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपर्युक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार रू0 10.00 लाख की अनुग्रह राशि को स्व0 श्री रामसमुझ की पत्नी श्रीमती समुन को एक्स ग्रेसिया एकमुश्त कपनशेसन के रूप में भुगतान हेतु मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से मा0 प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक/कुलसचिव/निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

प्रस्ताव संख्या 15.6:– **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान, कन्टीजैन्सी, उपकार एवं आर0के0वी0वाई0 परियोजनान्तर्गत निर्गत किए जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत कोषागार से संदर्भित धनराशि आहरण हेतु इंगित कठिनाईयों के निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान, कन्टीजैन्सी, उपकार एवं आर0के0वी0वाई0 परियोजनान्तर्गत निर्गत किए जाने वाले शासनादेशों के अन्तर्गत संदर्भित धनराशि का आहरण कोषागार से किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 शासन के संदर्भित निर्गत होने वाले शासनादेशों में इंगित नियमों के सदंर्भ में कोषागार से आहरित कराने में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मा0 सदस्यों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि प्रस्ताव से किसी प्रकार वित्तीय अनियमितता उत्पन्न न हो पाये। तदोपरांत मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर मा0 प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए उ0प्र0 शासन को विचार हेतु प्रेषित किया जाये।

(कार्रवाईः वित्त नियंत्रक)

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

02.2021
डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

अन्य बिन्दुः–

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्तावः–

प्रस्ताव संख्या–15.7 : कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट में चक्रीय निधि मद के अन्तर्गत बेकरी एवं फूड प्रौसेसिंग यूनिट के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा0 कुलपति जी की अनुमति से अधिष्ठाता पोस्ट हार्वेस्ट एण्ड फूड टैक्नालॉजी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मा0 सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।

कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट में चक्रीय निधि मद के अन्तर्गत बेकरी एवं फूड प्रौसेसिंग यूनिट के संचालन के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा0 सदस्यों द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः अधिष्ठाता, कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एवं फूड टैक्नालॉजी)

(लक्ष्मी मिश्रा)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

लक्ष्मी मिश्रा
वित्त नियन्त्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

25.02.2014

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ